प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–......... 2022............
प्र0सू0रि0 सं ....143/2022............ दिनांक........26-04-2022........

2. (1) अधिनियम... भ्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018......धाराए .... 7 ....
(2) अधिनियम...धाराए...
(3) अधिनियम...धाराए...
(4) अन्य अधिनियम एवं ....धाराएं...

3. (क) घटना का दिन :– सोमवार ....दिनांक :–...25.04.2022.....समय : 07.55 एएम..................
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–......................21.04.2022.....समय : 04.00 पीएम..................
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....487........ समय.............11:50 Am

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से पश्चिम दिशा बफासला करीब 50 किमी
बीट संख्या...जुरामदेही सं...
(ख) पताः– न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम.................................... जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री रोशनलाल
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री रामचन्द्र
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 30 वर्ष
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.......................जारी करने की तिथि...............................जारी करने का स्थान.......................
(च) व्यवसायः– –
(छ) पताः– निवासी वार्ड नं. 12 नायक बस्ती करणपुर हाल वार्ड नं. 24 देवता कॉलोनी करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
1. हेमन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल उम्र 39 वर्ष निवासी म.न.128–पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर हाल वरिष्ठ लिपिक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...............

परिवादी श्री रोशनलाल ऑथ कमिशनर एवं साक्ष्य अभिलेखक से एडीजे कोर्ट श्रीकरणपुर में तैनात फौजदारी बाबु हेमन्त गुप्ता द्वारा साक्ष्य अभिलेखन कार्य आवंटन करने हेतु परिवादी को प्राप्त मानदेय में से कमीशन के रूप में रिश्वत की मॉग करने पर दिनांक 22.04.22 को आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, तो आरोपी द्वारा परिवादी से दिनांक 20.04.22 को अभिलिखित किये गये तीन गवाहो के बयानो के बदले परिवादी को वरिष्ठ वकीलो से प्राप्त 1000/रूपये मानदेय में से 500/रूपये बतौर कमीशन रिश्वत की मांग किया जाना पाया गया। जिसके अनुशरण में दिनांक 25.04.22 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर एडीजे न्यायालय श्रीकरणपुर में आरोपी हेमन्त कुमार को परिवादी से 400/रूपये रिश्वत लेने पर रंगे हाथो गिरफ्तार कर रिश्वत राशि बरामद की गई आदि आरोप है।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– ......400/रू...
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)...
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

सेवामें,

श्रीमान डीएसपी साहब, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्रीगंगानगर। विषयः– भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़वाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी रोशन लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नायक उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12 नायक बस्ती करणपुर हाल वार्ड नं. 24 देवता कॉलोनी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर का हूं। मैंने एलएलबी की हुई है और 01.10.2020 से मेरा एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाकर श्रीकरणपुर कोर्ट में एडवोकेट का कार्य करता हूं। मैं श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिकृत ऑथ कमिशनर एवं साक्ष्य अभिलेखक भी हूं। श्रीकरणपुर के एडीजे कोर्ट (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय) में सिविल मामलों के गवाह का बयान दर्ज करने हेतु मेरे को बतौर अधिकृत साक्ष्य अभिलेखक निर्धारित मानदेय वरिष्ठ वकीलों से प्राप्त होता है। इस कोर्ट में तैनात फौजदारी बाबु हेमन्त गुप्ता द्वारा उक्त साक्ष्य अभिलेखन कार्य आवंटन करने हेतु मेरे को प्राप्त मानदेय में से कमीशन के रूप में रिश्वत की मॉग की जा रही है। उक्त रिश्वत नहीं देने पर भविष्य में साक्ष्य अभिलेखन हेतु नहीं बुलाने की धमकी भी दे रहा है। यह कर्मचारी न्यायालय से विभिन्न दस्तावेज की नकल देने के लिए भी अवैध रूप से खर्चापानी के नाम पर रिश्वत वसूल करने की कोशिश में रहता है। मैं इसे रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। कृप्या मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। मेरा उक्त कर्मचारी के साथ किसी प्रकार का लेनदेन बकाया नहीं है और ना ही कोई विवाद है। प्रार्थी एसडी रोशन लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नायक उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12 नायक बस्ती करणपुर हाल वार्ड नं. 24 देवता कॉलोनी श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर मो. नं. 88905–54002 दिनांक 21.04.2022

कार्रवाई पुलिस

दिनांक :– 21.04.2022
समय :– 04.00 पीएम
स्थानः– ब्यूरो कार्यालय,
श्रीगंगानगर–द्वितीय

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 21.04.2022 को वक्त 04.00 पीएम पर परिवादी श्री रोशन लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नायक उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12 नायक बस्ती करणपुर हाल वार्ड नं. 24 देवता कॉलोनी श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ने भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर–द्वितीय चौकी पर हाजिर होकर यह टाईपशुदा रिपोर्ट मुझ उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की है। रिपोर्ट का मजमून पढ़कर सुनाने पर परिवादी ने रिपोर्ट के तथ्य सही–सही होना व इस पर अपने ही हस्ताक्षर होना बताया तथा दरियाफ्त पर बताया कि मैं जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर से एडीजे कोर्ट श्रीकरणपुर में सिविल मामलों में गवाह का बयान दर्ज करने हेतु अधिकृत साक्ष्य अभिलेखक हूं। मुझे सिविल मामलों में गवाह के बयान लिखने के बदले वरिष्ठ वकील से मानदेय के रूप में 300/–रूपये प्रति गवाह प्राप्त होते हैं। एडीजे कोर्ट श्रीकरणपुर का बाबु हेमन्त गुप्ता साक्ष्य अभिलेखन कार्य का आवंटन करने के बदले प्राप्त मानदेय में से आधी राशि बतौर कमीशन रिश्वत के रूप में लेता है। मैंने दिनांक 20.04.2022 को एक मामला में तीन गवाहों के बयान लिखे थे जिसके मुझे 1000 रूपये प्राप्त हुऐ थे। श्री हेमन्त बाबु मेरे से इस प्राप्त राशि में से 500 रूपये बतौर कमीशन रिश्वत मॉग रहा है जो मैं देना नहीं चाहता हूँ और उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी रोशनलाल को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उसने कहा तो उसके द्वारा सहमति दी गई और बताया कि न्यायालय का समय सुबह 7.30 एएम से 01.00 पीएम तक का है। मैं कल सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा इस पर श्री दिनेश कुमार कानि0 से डिजिटल वॉईस रिकार्डर मंगवाया जाकर वॉईस रिकार्डर चलाने की पूर्ण विधि परिवादी को समझायी गयी एवं श्री दिनेश कुमार कानि. से परिवादी को मिलाया जाकर निर्देश दिये कि वह कल श्रीकरणपुर में श्री दिनेश कुमार कानि. से डिजिटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने के संबंध में वार्ता करते हुऐ वार्ता को रिकार्ड कर सत्यापन की कार्यवाही करावे तत्पश्चात परिवादी श्री रोशनलाल को मामला को पूर्ण गोपनीय रखने की हिदायत कर वापस भेजा गया। दिनांक 22.04.2022 वक्त 07.45 एएम पर श्री दिनेश कुमार कानि. को जरिऐ फर्द डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी रोशनलाल से सम्पर्क करते हुऐ गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही करवाने के निर्देश देकर श्रीकरणपुर की ओर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी वॉईस रिकार्डर शामिल कागजात की गयी। वक्त 04.00 पीएम पर गोपनीय सत्यापन में रवानाशुदा श्री दिनेश कुमार कानि. वापिस चौकी आया और सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉईस रिकार्डर पेश कर बताया कि आरोपी से परिवादी ने न्यायालय में सम्पर्क किया था। परिवादी व आरोपी के मध्य सत्यापन के दौरान रिकार्ड हुई वार्ता में आरोपी द्वारा 500 रूपये रिश्वत मांगने की बात रिकार्ड हो चुकी है। परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेनदेन के लिए एक–दो दिन का समय निर्धारित हुआ है। निर्देशानुसार परिवादी श्रीकरणपुर ही रूक गया है जो रविवार को चौकी पर आयेगा। इस पर प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिकार्ड वार्ता के तथ्यों से आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने के आरोपों की पुष्टि होना पाया गया। दिनांक 24.04.2022 वक्त 01.15 पीएम पर परिवादी रोशनलाल चौकी पर उपस्थित आया और दिनेश कुमार कानि. द्वारा बताऐ अनुसार रिश्वती मांग के सत्यापन के तथ्य बताकर आरोपी द्वारा पॉच सौ रूपये की रिश्वत की मांग किया जाना बताया। इस पर दिनांक 22.04.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के दौरान डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड हुई वार्ता कार्यालय के कम्पयुटर पर परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में सुनते हुऐ वार्ता की फर्द ट्रांस्किप्ट दिनेश कुमार कानि. से तैयार करवायी जाकर रिकार्ड वार्ता को कम्पयुटर से डाउनलोड कर दो सीडी तैयार करवायी गयी। एक सीडी को सील मोहर कर व दूसरी को आगामी अनुसंधान हेतु खुली हालत में कब्जे में लिया गया। दिनांक 24.04.22 को रविवार का अवकाश होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु दो गवाह पाबंद कर

ब्यूरो कार्यालय भिजवाने हेतु उपायुक्त जीएसटी वाणिज्य कर विभाग श्रीगंगानगर को जरिऐ दूरभाष निवेदन किया गया। वक्त 3.00 पीएम पर कार्यालय राज्य कर विभाग श्रीगंगानगर से श्री श्रवण कुमार कर सहायक व श्री राहुल कनिष्ठ सहायक कार्यालय पर उपस्थित आये, जिन्हे तलबी का प्रयोजन बताकर ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर गवाह सहयोग की अपेक्षा की तो दोनो ने स्वेच्छा से गवाह हेतु सहमति दी, जिस पर कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री रोशनलाल से आमदा कर्मचारियों का परस्पर परिचय करवाकर परिवादी की रिपोर्ट के तथ्यों से अवगत करवाकर सत्यापन के तथ्य से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात दोनो गवाहों को कल दिनांक 25.04.2022 को प्रातः 06.30 एएम पर चौकी पर उपस्थित आने हेतु एवं परिवादी को 6.30 एएम पर श्रीकरणपुर के पास गोपनीय स्थान पर हाजिर मिलने हेतु पाबन्द कर वापिस भेजा गया। दिनांक 25.04.2022 को 06.05 एएम पर पाबंन्द शुदा गवाह श्री श्रवण कुमार कर सहायक व श्री राहुल कनिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो सरकारी गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के श्री हंसराज शर्मा एएसआई, श्री रणजीत सिंह मु.आ, श्री सुबे सिंह कानि., श्री संजीव कुमार कानि, श्री बजरंग लाल कानि., श्री दिनेश कुमार कानि0, श्री मनजीत चलाना कानि0, श्री पंकज कानि0ड्रा0 मय लेपटोप–प्रिन्टर व मय ट्रेप सामग्री के फिनॉफथलीन पाउडर की शीशी भी ट्रेप सामग्री से अलग सरकारी गाड़ी के डेसबोर्ड में साथ लेते हुये सरकारी बोलेरो व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर कस्बा श्रीकरणपुर से पहले धनूर रोड़ पर गोपनीय स्थान पर पहूंचकर वाहनो को गोपनीय स्थान पर रूकवाया गया, जहां परिवादी उपस्थित मिला। जिस पर परिवादी रोशन लाल ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 100–100/रूपये के 5 नोट कुल 500/रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो का विवरण इस प्रकार है :–

1.	एक नोट सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.	9CE630372
2.	एक नोट सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.	2SB242840
3.	एक नोट सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.	6UU110163
4.	एक नोट सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.	1QC893883
5.	एक नोट सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.	9HE638598

उक्त प्रस्तुत नोटो को मन उप पुलिस अंधीक्षक ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री मनजीत कानि. 130 से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी सरकारी बोलेरो गाड़ी के डेशबोर्ड से मंगवाकर उक्त 500/–रूपये के सभी नोटो पर फिनॉफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री श्रवण कुमार कर सहायक से परिवादी रोशनलाल की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 5,00/रू के नोटो को श्री मनजीत कानि.130 के जरिये परिवादी के पहनी शर्ट की उपरी बांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन उप पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री मनजीत कानि.130 के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री मनजीत कानि.130 के हाथो, गिलास को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ भी साबुन व पानी से साफ धुलवाए गए एवं ट्रेप बॉक्स में रखी शीशियो व उनके ढक्कनों, चम्मच, कांच के गिलासो को भी वाशिंग पाउडर व साफ पानी से धुलवाये गये। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वती लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी श्री रोशनलाल को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी नोट एवं सुपुर्दगी डिजीटल टेप रिकॉर्डर मुर्तिब की गई। वक्त 07.40 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी रोशनलाल को उसकी मोटरसाईकिल पर संजीव कुमार कानि. व दिनेश कुमार कानि0 के साथ आरोपी से सम्पर्क करने एडीजे न्यायालय श्रीकरणपुर की ओर रवाना कर पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो सरकारी गवाहान व हमराहीयान ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर सरकारी बोलेरो गाड़ी व प्राईवेट वाहन से गोपनीय स्थान से कार्रवाई हेतु रवाना होकर एडीजे न्यायालय श्रीकरणपुर के पास पहूंचा, जहां परिवादी कानिगण को बाहर उतारते हुये परिवादी स्वंय मोटरसाईकिल से न्यायालय परिसर में प्रवेश कर गया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस एवं हमराहीयान के न्यायालय परिसर के आस–पास ही परिवादी के ईशारा के इंतजार में मुकीम हुये। वक्त 7.55 पर परिवादी श्री रोशन लाल ने न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीकरणपुर के मुख्य भवन के बरामदा में आकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा दिया, जिस पर पर मन उप पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यो के अविलम्ब परिवादी रोशनलाल के पास पहूंचा तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुये बताया कि आरोपी हेमन्त कुमार बाबू अपने कार्यालय में बैठा है, जिसने मेरे से दिनांक 20.04.22 को अभिलिखित किये गये तीन गवाहो के बयानो के मानदेय के रूप में प्राप्त

1000/रूपये की राशिमें से 400/रूपये कमीशन स्वरूप रिश्वत के लेकर अपने पहनी पेंट की पीछे की जेब में रख लिये है। इस पर परिवादी को साथ लेकर उसके बताये अनुसार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीकरणपुर में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ की तरफ की गैलरी में प्रथम कमरा में पहूंचा तो सामने कोने में खिड़की के पास कम्प्यूटर पर एक कार्य कर रहे व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर उसे हेमन्त कुमार बाबू होना बताया तथा उसके रिश्वत लेने के सम्बधं में उक्त कथन पुनः किये, जिस पर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हेमन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल निवासी म.न.128–पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर हाल वरिष्ठ लिपिक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी से परिवादी रोशनलाल से सम्बधिंत कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब यह रोशनलाल ऑथ कमीशनर एवं साक्ष्य अभिलेखक है, यह न्यायालय के लिये गवाहो के बयान अभिलिखित करता है, जिसे वरिष्ठ वकील से प्रति गवाह मानदेय प्राप्त होता है, इसने मुझे कहा था कि मुझे बयान लिखने के लिये दिया करो, मै खर्चा पाणी करता रहूगा, अभी थोड़ी देर पहले इसने मुझे 400/रूपये दिये थे, जो मेरी पेंट की पीछे की जेब में है, इससे मैने कोई दबाव पूर्वक रिश्वत नही मांगी थी, इसने राजी खुशी से दिये है। इस पर परिवादी रोशनलाल ने हाजरिन के रूबरू बताया कि आरोपी हेमन्त कुमार झूठ बोल रहा है, इसने मेरे से जब–जब मेरे द्वारा गवाहो के बयान अभिलिखित किये गये है, तब–तब इसने मुझे प्राप्त मानदेय राशि में से आधी राशि कमीशन स्वरूप रिश्वत के लिये है, नही देने पर यह मुझे काम नही देने की धमकी देता था, मैने दिनांक 20.04.22 को एक मामला जसप्रीत सिंह बनाम मनिन्दर सिंह में दो गवाहो जसप्रीत, यशकरण एवं एक अन्य मामला सुनीता कौर बनाम हरमैल में गवाह देवेन्द्र के बयान अभिलिखित किये थे, जिसकी एवज में मुझे वरिष्ठ वकील श्रीरमेश कुमार गुप्ता से 700/रूपये व श्री सतवीर कुमार से 300/रूपये कुल 1000/रूपये मानदेय के रूप में प्राप्त हुये थे, यह हेमन्त कुमार बाबू मुझे प्राप्त उक्त राशि 1000/रूपये में से 500/रूपये कमीशन स्वरूप रिश्वत के मांग रहा था, जिस पर आज अभी कुछ देर पहले हेमन्त कुमार ने मेरे से 400/रूपये रिश्वत के लेकर अपने पहनी पेंट की पीछे की जेब में रखे थे। ट्रेप राशि में से 100/रूपये मेरे पास ही है, जो मैने कम करके दिये थे। इस पर आरोपी हेमन्त कुमार को पुनः पूछा गया तो वह चुप रहा। उक्त घटनाकम से परिवादी व आरोपी हेमन्त कुमार के मध्य रिश्वत राशि का आदान–प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी हेमन्त कुमार के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी बोलेरो गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो साफ कांच के गिलासो को साफ धुलवाते हुये उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी हेमन्त कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का **गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का**'आर–1, आर–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी हेमन्त कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का **हल्का गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का**'एल–1, एल–2'**अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।फिर आरोपी हेमन्त कुमार से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो उसने अपने पहनी पेंट की पीछे की जेब में होना बताया, जिस पर गवाह श्री श्रवण कुमार से आरोपी के पहनी पेंट की पीछे की जेब की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने 100–100/रूपये के नोट निकालकर पेश किये, जिनको गवाह ने गिनकर 100–100/रू के चार नोट कुल 400/रू होना बताया।फिर गवाहो से इन बरामदशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण निम्नानुसार है :–

1.	एक नोट सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.	9CE630372
2.	एक नोट सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.	2SB242840
3.	एक नोट सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.	6UU110163
4.	एक नोट सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.	9HE638598

उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान आरोपी की पहनी बरंग स्लेटी पेन्ट की पीछे की जेब धुलवाने के लिये एक अलग साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर आरोपी हेमन्त कुमार के पहनी पेन्ट को उतरवाते हुये व दूसरा लॉअर पहनने को दिया जाकर उतरवायी गई पेन्ट के पीछे की जेब को उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग **गुलाबी** प्राप्त हुआ जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सीलमोहर चिट कर मार्का**'पी–1, पी–2'** अंकितकर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया फिर धुलाई के पश्चात पेन्ट की पीछे की जेब को सुखाकर उस पर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की एक थैली में डालकर सीलचिट मोहर किया गया।इसके पश्चात परिवादी ने रिश्वत राशि में से अपने पास रखे 100/रूपये का नोट निर्देशानुसार पेश किया जिसका नम्बर इस प्रकार है :–

एक नोट सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.	1QC893883

9

उक्त 100/रूपये का नोट भी ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत है, जिसे कपड़े के टूकड़े के साथ सीलचिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।इसके बाद आरोपी हेमन्तकुमार से परिवादी रोशनलाल द्वारा दिनांक 20.04.22 को अभिलिखित किये गये गवाहो के बयानो से सम्बधिंत न्यायालय की पत्रावली बाबत पूछा तो आरोपी ने बताया कि इसने सिविल मामलो की फाईलो में बयान लिखे थे, जो फाईल न्यायालय के श्री जतिन कुमार बाबू द्वारा संधारित की जाती है तथा मेरे पास इसी कमरा में बैठता है। इस पर श्री जतिन कुमार कनिष्ठ लिपिक को तलब कर पूछा तो उसने बाद इजाजत माननीय न्यायाधीश महोदय के उक्त दोनो पत्रावलियों में रोशनलाल द्वारा गवाहो के बयान दिनांक 20.04.22 को अभिलिखित करना बताया एवं न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन करवाया, जिसमें परिवादी के बताये अनुसार तीन गवाहो के बयान उसकी हस्तलिपि में लिखे जाकर बयानो पर परिवादी के हस्ताक्षर भी है। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी बनाई जाकर एक सीडी सील मोहर की गई तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। तत्पश्चात आरोपी को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द मुर्तिब की गई। फिर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका कशीद किया गया। फिर ट्रेप कार्रवाई में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। फिर आरोपी को जाब्ता के साथ राजकीय चिकित्सालय भिजवाकर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी रोशनलाल को मौका से जाने की इजाजत देते हुये गिरफ्तारशुदा आरोपी हेमन्त कुमार, दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ, जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि के सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, रिश्वत राशि क्रमशः 400/रूपये व 100/रूपये, शील्ड शुदा पेन्ट, दो शील्डशुदा सीडी, जब्तशुदा अभिलेख आदि श्री रणजीत सिंह मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। आरोपी हेमन्त कुमार वरिष्ठ लिपिक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर को माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय कारागार श्रीगंगानगर में दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह तथ्य पाये गये कि परिवादी श्री रोशनलाल ने रिपोर्ट दी कि मैने एलएलबी की हुई है और 01.10.2020 से मेरा एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाकर श्रीकरणपुर कोर्ट में एडवोकेट का कार्य करता हूं। मैं श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिकृत ऑथ कमिशनर एवं साक्ष्य अभिलेखक भी हूं। श्रीकरणपुर के एडीजे कोर्ट (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय) में सिविल मामलों के गवाह का बयान दर्ज करने हेतु मेरे को बतौर अधिकृत साक्ष्य अभिलेखक निर्धारित मानदेय वरिष्ठ वकीलों से प्राप्त होता है। इस कोर्ट में तैनात फौजदारी बाबु हेमन्त गुप्ता द्वारा उक्त साक्ष्य अभिलेखन कार्य आवंटन करने हेतु मेरे को प्राप्त मानदेय में से कमीशन के रूप में रिश्वत की मॉग की जा रही है। उक्त रिश्वत नहीं देने पर भविष्य में साक्ष्य अभिलेखन हेतु नहीं बुलाने की धमकी भी दे रहा है। यह कर्मचारी न्यायालय से विभिन्न दस्तावेज की नकल देने के लिए भी अवैध रूप से खर्चा पानी के नाम पर रिश्वत वसूल करने की कोशिश में रहता है। जिस पर दिनांक 22.04.22 को आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, तो आरोपी द्वारा परिवादी से दिनांक 20.04.22 को अभिलिखित किये गये तीन गवाहो के बयानो के बदले परिवादी को वरिष्ठ वकीलो से प्राप्त 1000/रूपये मानदेय में से 500/रूपये बतौर कमीशन रिश्वत की मांग किया जाना पाया गया। इस पर आज दिनांक 25.04.2022 को 500/रूपये की राशि पर ट्रेप का आयोजन किया जाकर एडीजे न्यायालय श्रीकरणपुर में आरोपी हेमन्त कुमार को ट्रेप कर रिश्वत राशि 400/रूपये आरोपी के अपने पहनी पेन्ट की पीछे की जेब से बरामद किये गये व 100/रूपये परिवादी द्वारा पेश करने पर पृथक से जब्त किये गये, आरोपी हेमन्त कुमार के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेन्ट की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग हल्का गुलाबी व गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना आदि घटित साक्ष्यों के आधार पर हेमन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल निवासी म.न.128–पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर हाल वरिष्ठ लिपिक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का घटित होना पाये जाने पर हेमन्त कुमार वरिष्ठ लिपिक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(वेदप्रकाश लखोटिया)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
श्रीगंगानगर–द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री वेदप्रकाश लखोटिया, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री हेमन्त कुमार, हाल वरिष्ठ लिपिक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री करणपुर श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 143/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26.4.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1263-67 दिनांक 26.04.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर, राजस्थान।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।